संख्या-3/2026/I/1209549/2026/001-77-3002-003-17-2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19.01.2026

विषय:- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित किये जाने हेतु धनराशि की मांग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 3856/यूपीडा/बजट-जेवर/2025-26 दिनांक 14.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित किये जाने हेतु 24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख की धनराशि की मांग की गई है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 5054-03-337-23-आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे-24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित में से अवशेष **रु. 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(2) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

(6) प्रशासकीय विभाग उक्त स्वीकृत धनराशि पर नियमानुसार यथावश्यक सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(7) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रशासकीय विभाग यथावश्यक नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना के सम्बन्ध में सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर त्रुटिरहित अद्यतन प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033372300 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-123-X-2025-26-दिनांक:16-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।

9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।

10. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।